

कार्यालय आदर्श नगर पंचायत निचलौल जनपद- महाराजगंज

पत्रांक न0पं0नि0/2019-20

दिनांक- 19.11.19

अल्पकालिन निविदा आमंत्रण सूचना

पंजिकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत निचलौल में स्वच्छ भारत मिशन/राज्य वित्त आयोग के प्राप्त धनराशि से निर्माण कार्य तथा सामाग्रियों की आपूर्ति के लिए इच्छुक दुकानदारों/पंजिकृत फर्मों/अधिकृत डीलरों से प्रस्तावित/स्वीकृत कार्य हेतु मुहरबन्द निविदा दिनांक 29.11.2019 को समय 2.00 बजे प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय जनपद-महाराजगंज के कार्यालय पर स्थित निविदा बाक्स में डाली/ आमंत्रित की जाती है प्राप्त निविदाओं को उक्त तिथि को समय 2.30 बजे अपरान्ह प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय के उपस्थित में निविदाताओं/ प्रतिनिधियों के समक्ष मा0 अध्यक्ष/अधिकासी अधिकारी, नगर पंचायत निचलौल के द्वारा खोला जायेगा। निविदा प्रपत्र विज्ञप्ति तिथि से दिनांक 28.11.2019 तक निर्धारित शुल्क जमा करके कार्यालय दिवस में कार्यालय नगर पंचायत निचलौल से प्राप्त किया जा सकता है, निर्माण कार्य के लिए 10% जमानत जो निविदा प्रपत्र के साथ 2% तथा निविदा स्वीकृति के पश्चात् 8% के रूप में एफ0 डी0आर0, राष्ट्रीय बचत पत्र किसान विकास पत्र, सी0डी0आर0, या नगद जो अधिकासी अधिकारी नगर पंचायत निचलौल के पक्ष में बन्धक के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा, जो निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। निविदा आमंत्रित/खुलने की तिथि में यदि कोई अवकाश/बैठक पडता है तो अगले कार्य दिवस में अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। इस विज्ञापन को www.maharajganj.Nic.in पर देखा जा सकता है। किसी भी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा। निर्माण कार्य/सामग्रियों की आपूर्ति से सम्बन्धित नियमो/शर्तो की विस्तृत जानकारी कार्यालय दिवस में कार्यालय नगर पंचायत निचलौल से सम्पर्क कर प्राप्त किये जा सकते है। निर्माण कार्य /सामाग्रियों का विवरण निम्न है।

समाग्री आपूर्ति हेतु -

स्वच्छ भारत मिशन /राज्य वित्त आयोग

क्र0सं0	सामाग्री का नाम	साईज (वर्ग फीट में)	मात्रा	निविदा फार्म का मूल्य	आपूर्ति करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	होर्डिंग तथा उसमें लगाये जाने वाले सामग्री स्थापन सहित	प्रति वर्ग फीट	आवश्यकतानुसार	150.00	एक माह
2	वाल पेंटिंग (अक्षर एवं चित्र का अलग-अलग)	प्रति वर्ग फीट			
3	बैनर तथा उसमें लगाये जाने वाले सामग्री स्थापन सहित	प्रति वर्ग फीट			

निर्माण कार्य हेतु -

स्वच्छ भारत मिशन /राज्य वित्त आयोग

क्र0 सं0	कार्य/स्थल का नाम	आगणन धनराशि	जमानत धनराशि 10%		निविदा फार्म का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
			निविदा प्रपत्र के साथ 2%	निविदा स्वीकृत के पश्चात 8%		
1	2	3	4	5	6	7

01	वार्ड नं-13 में सार्वजनिक शौचालय निर्माण कार्य।	9,44,000.00	18,880.00	75520.00	950-00	एक माह
02	वार्ड नं- 11 में मूत्रालय निर्माण कार्य। (ठूठीबारी स्टैण्ड/सिचाई डाक बंगला के बगल में)	90,000.00	1800.00	7200.00	100-00	एक माह
03	वार्ड नं- 10 में मूत्रालय निर्माण कार्य। (न0पं0 निचलौल कार्यालय के सामने)	90,000.00	1800.00	7200.00	100-00	एक माह
04	वार्ड नं- 11 में मूत्रालय निर्माण कार्य। (मण्डी गेट के पास)	90,000.00	1800.00	7200.00	100-00	एक माह

समाग्रियों के आपूर्ति हेतु नियम व शर्तें

- 1-स्वीकृत निविदादाता फर्म/आपूर्तिकर्ता स्वम् अपने व्यय से सामाग्रीयों की आपूर्ति करेंगे।
- 2-विलम्ब से प्राप्त निविदा प्रपत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 3-अपूर्ण व ऋट्टिपूर्ण निविदा स्वतः निरस्त समझे जायेगें।
- 4-किसी भी निविदा को विना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।
- 5-सामाग्रीयों का दर प्रति अदद/ प्रति फिट जी.एस.टी. सहित देना होगा।
- 6-सामाग्री की गुणवत्ता सक्षम स्तर से सत्यापन के पश्चात् ही सन्तोषजनक पाये जाने पर भुगतान किया जायेगा।
- 7-अधिक का भुगतान राज्य वित्त आयोग के प्राप्त धनराशि से किया जायेगा।

निर्माण कार्य हेतु नियम व शर्तें

1. निर्माण कार्य हेतु जमानत धनराशि कुल धनराशि का 10% देना होगा। निविदा प्रपत्र साथ 2% व निविदा स्वीकृति के पश्चात 8% एफ0 डी0आर0, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र या नगद जो अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत निचलौल के पक्ष में बन्धक के रूप में जमा करना होगा।
2. पंजीकृत ठेकेदार/निविदादाता को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं से हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण-पत्र व हैसियत प्रमाण-पत्र की छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
3. ठेकेदार द्वारा सीलबन्द लिफाफा पर कार्य का क्रमांक लिखकर निविदा वाक्स में डालना होगा।
4. निर्माण कार्य स्वीकृत आगणन या आगणन दर से कम करना होगा, एवं कार्य मानक के अनुसार करना होगा।
5. निविदादाताओं को नियमानुसार स्वयं के व्यय अनुबन्ध पत्र करना होगा। विना अनुबन्ध किये कार्यादेश जारी नहीं किया जायेगा।
6. अवर अभियन्ता नगर पंचायत निचलौल के देख रेख में निर्माण कार्य करना होगा।
7. विना कारण बताये एक या समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार अध्यक्ष नगर पंचायत निचलौल में निहित होगा।
8. विना अनुमति के ठेकेदार द्वारा आगणन से अधिक कार्य नहीं कराना होगा, यदि अधिक कार्य करता है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। नगर पंचायत निचलौल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, और न ही भुगतान किया जायेगा।

9. ठेकेदार को स्वयं शपथ पत्र जो 100.00 रूपये की स्टाम्प पेपर पर नोटरी, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। जिस पर नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो संलग्न किया जायेगा। (शपथ पत्र हेतु प्रारूप कार्यालय नगर पंचायत निचलौल से प्राप्त किये जा सकते हैं जो 14 विन्दु पर हैं)
10. निविदा प्रपत्र के साथ नगर पंचायत निचलौल द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
11. निर्माण कार्य के लिए किसी भी नियमो/शर्तों में संशोधन करने/शिथिल करने का अधिकारी अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।
12. उक्त कार्यों में यदि अधिक विल प्राप्त होता है तो उसका भुगतान राज्य वित्त आयोग के प्राप्त धनराशि से किया जायेगा।
13. ठेकेदार द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्य के प्रत्येक कार्य पर 1000.00 रू० का चालान द्वारा श्रम प्रवर्तन अधिकारी महाराजगंज के कार्यालय में कार्य का पंजीयन के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
14. सशर्त निविदाएँ स्वीकर नहीं की जायेगी।
15. आगणन धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार जी०एस०टी० एवं लेवर शेष की धनराशि नगर पंचायत द्वारा अतिरिक्त देय होगा।
16. मानक के अनुसार ठेकेदार द्वारा कार्य न करने पर भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत यह कृत्य अपराध माना जायेगा तथा ठेकेदार/फर्म के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।
17. निविदाता को अन्तिम विल भुगतान की तिथि से 05 वर्ष तक उक्त कार्य का रख-रखाव करना अनिवार्य होगा।
18. ठेकेदार द्वारा जी.एस.टी. चालान कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
19. अधिक का भुगतान राज्य वित्त आयोग के प्राप्त धनराशि से किया जायेगा।

अधिशाली अधिकारी
नगर पंचायत निचलौल
महाराजगंज

अध्यक्ष
नगर पंचायत निचलौल
महाराजगंज

पत्रांक 568(4) न०प०नि०/2019-20/तददिनांकित

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय जनपद-महाराजगंज
2. प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय महाराजगंज।
3. अधिशाली अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग महाराजगंज।
4. प्रभारी अधिकारी एन.आई.सी. महाराजगंज को इस आशय से प्रेषित कि इस विज्ञापन को वेबसाइट [www. Maharajganaj.nic.in](http://www.Maharajganaj.nic.in) पर डालने की कृपा करें।
5. अवर अभियन्ता (नामित) नगर पंचायत निचलौल, महाराजगंज।
6. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अधिशाली अधिकारी
नगर पंचायत निचलौल
महाराजगंज

अध्यक्ष
नगर पंचायत निचलौल
महाराजगंज